

अनुसूची-4

क्रम-संख्या—611(क-1)



संविधान संशोधन अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4)

संख्या सी-456/का-2-1995

संविधान संशोधन अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परित्यक्त प्रदेश)

संखनक, बुधवार, 6 सितम्बर, 1995

भाद्रपद 15, 1917 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यिक अनुभाग-2

संख्या सी-456/का-2-1995

संखनक, 6 सितम्बर, 1995

अधिसूचना

प्रकीर्ण

१० आ०—1098

उत्तर प्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में, नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी प्रविष्टियों के स्थान पर प्रत्येक के सामने स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात :-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

2—अरख

2—अरख, अर्धवंशीय

3—काछी

3—काछी, काछीक, शबाहा, शम्भू

5—कैवट या मल्लाह

5—कैवट या मल्लाह, निषाद

8—कम्हार

8—कम्हार, प्रजापति

स्तम्भ-1

- 9-क०मी०
16-गढ़दी
18-चिकवा (कस्साब)
19-छीपी
23-तमोली
24-तेली
25-दजी
38-मुजी या मड़भुजा
41-मनिहार
42-मुराव या मुराई
46-नददाफ (धुनिया) मन्सुरी
48-रंगरेज
51-लोनिया
52-सोनार
53-स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
54-हलवाई
55-हज्जाम (नाई)

स्तम्भ-2

- 9-क०मी०, चनऊ, पटेल, पटनवार, क०मी०-मल्ल, क०मी०-संधवार
16-गढ़दी, घोषी
18-चिकवा, कस्साब, क०रंजी, चक
19-छीपी, छीपा
23-तमोली, बरह, चौरसिया
24-तेली, सामानी, रांगनगर
25-दजी, हदरीसी
38-मुजी या मड़भुजा, भुज, कांट
41-मनिहार, कचोर, लखेरा
42-मुराव या मुराई, मांय
46-नददाफ (धुनिया) मन्सुरी, कन्डेर
48-रंगरेज, रंगवा
51-लोनिया, लोनिया, गोल ठाकुर, लोनिया-चांहान
52-सोनार, सुनार, स्वर्णकार
53-स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों), हलालखोर
54-हलवाई, मोदनवाल
55-हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास्त ।

आज्ञा सं,
डा० जी० पी० बाण्ये,
विशेष सचिव ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. B-456/Ka-2-1995, dated September 6, 1995 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL SECTION-2

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

No. B-456/Ka-2-1995

Dated Lucknow, September 6, 1995

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 (U. P. Act no. 4 of 1994), the Governor is pleased to make the following amendment in Schedule-1, of the aforesaid, Act :—

AMENDMENT

IN Schedule-1 of the aforesaid Act, for the entries set out in column-1 below, the entries as set out against each in column-2 shall be *substituted*, namely :—

COLUMN-1	COLUMN-2
2. Arakh	2. Arakh, Arkvanshiya
3. Kachchi	3. Kachchi, Kachchi-Kushwaha, Shakya
5. Kewat or Mallah	5. Kewat or Mallah, Nishad
8. Kumhar	8. Kumhar, Prajapati
9. Kurmi	9. Kurmi, Chanau, Patel, Patanwar, Kurmi-Mall, Kurmi-Senthwar
16. Gaddi	16. Gaddi, Ghoshi
18. Chikwa (Qassab)	18. Chikwa, Qassab, Qureshi, Chak
19. Chhippi	19. Chhippi, Chhipa
23. Tamoli	23. Tamoli, Barai, Chaurasia
24. Teli	24. Teli, Samani, Rogangar
25. Darzi	25. Darzi, Earisi
38. Bhurji or Bharbhunja	38. Bhurji or Bharbhunja, Banoj, Kandu
41. Manihar	41. Manihar, Kacher, Lakhera
42. Murao or Mural	42. Murao or Murai, Maurya
46. Naddaf (Dhuniya), Mansoori	46. Naddaf (Dhuniya), Mansoori, Kandere, Kadere
48. Rangrez	48. Rangrez, Rangwa
51. Lonia	51. Lonia, Noniya, Gole Thakur, Lonia-Chauhan
52. Sonar	52. Sonar, Sunar, Swarnkar
53. Sweeper (Those not included in Scheduled Castes category)	53. Sweeper (Those not included in Scheduled Castes category), Halalkhore
54. Halwai	54. Halwai, Modanwal
55. Hajjam (Nai)	55. Hajjam, Nai, Salmani, Sabita, Sriwas.

By order,

DR. G. P. VARSHNEY,

Vishesh Sachiv.